

चेक लिस्ट क्रमांक-13

कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस।

लागत/लाभ विश्लेषण

वन “(संरक्षण) अधिनियम 1980 नियम वनमार्गदर्शी सिद्धांत” अनुबंध-6 (क)

उन प्रस्तावों की श्रेणी जिन पर लागत लाभ विश्लेषण लागू होता है।

क्रमांक	प्रस्ताव की प्रकृति	लागू/लागू नहीं
01	सभी श्रेणीयों के प्रस्ताव जिनमें मैदानी क्षेत्रों में 20 हेक्टेयर और पहाड़ी क्षेत्रों में 05 हेक्टेयर से कम वन भूमि शामिल है।	लागू नहीं
02	रक्षा प्रतिष्ठान प्रयोजनों और तेल की खोज (केवल खोज) के प्रस्ताव	लागू नहीं
03	वासस्थल औद्योगिक एककों की स्थापना पर्यटक लाजो/परिसरों और अन्य भवनों का निर्माण।	लागू नहीं
04	सड़के परिषण लाईन लघु मझौली और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जल विद्युत परियोजनाएं खनन गतिविधियाँ, रेल-लाईन माइक्रोवेव स्टेशन ऑटो रिफ़्टर सेंटर टी.वी. टॉवर आदि सभी अन्य प्रस्ताव जिसमें मैदानी क्षेत्रों में 20 हेक्टेयर और पहाड़ी क्षेत्रों में 05 हेक्टेयर अधिक वन भूमि शामिल है। भूमि का वनोत्तर उपयोग जनहित है।	लागू

220/132/33 के०व्ही० उपकेन्द्र निर्माण में प्रभावित वन भूमि 6.823 हेक्टेयर है।
अतः उपरोक्त अनुबंध 6 (क) के अनुसार लाभ विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।


(ए.के. खलखो)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग
छ०रा०वि०पारे०क०मर्या०, रायगढ़


(अभिषेक जोगावत)

(भा.व.से.)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल धरमजयगढ़